# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2017/00479

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

**बनाम**

1. यशोदा पत्नी स्व0 मदनलाल जाति यादव निवासी कसार ।
2. आशा पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी मनोज कुमार जाति यादव निवासी बजौलिया तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. ओम प्रकाश आत्मज स्व0 मदन लाल जाति यादव निवासी कसार ।
4. संतोष पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी संजय कुमार जाति यादव निवासी बिजोलिया तहसील व जिला बून्दी ।
5. सुनिता नाबालिग पुत्री स्व0 मदनलाल जरिये वली माता यशोदा पत्नी स्व0 मदनलाल ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. पैरोकार सरकार अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कसार तहसील लाडपुरा में वादी कम 01 के ससुर व वादी कम 2 लगायत 5 के दादा स्व0 दूलीचन्द के गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 448/791 की 10 बीघा भूमि दर्ज थी । उक्त भूमि इंतकाल संख्या 375 दिनांक 07.01.1983 से दुलीचन्द के

खातेदारी में दर्ज कर दी गई । भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 662 बनाकर उक्त आराजी को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है । वादिनी ने इस सम्बन्ध में धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की तो राजस्व अधिकारियों ने यह कहते हुए कि धारा 136 का अधिकार क्षेत्र सीमित है जिसमें केवल मात्र लिपिकीय भूल अथवा पक्षकारों की सहमति होने पर त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है । इस कारण वादिनी को अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पडा है । तहसीलदार द्वारा इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें भी स्पष्ट रूप से आलेखित किया गया है कि दुलीचन्द के खाते में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 448/791 की 10 बीघा आराजी थी । सेटलमेंट ने उसके नये नम्बर 662 रकबा 1.72 हैक्टर बनाये हैं और उसे सिवायचक दर्ज कर दिया ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम कसार तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 662 की 1.60 हैक्टर भूमि को वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

4. सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2014 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री कर दिया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2014 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट पूर्व व दौराने सेटलमेंट कब्जे की जॉच नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वर्तमान दर्ज प्रविष्टियों को निर्णय का आधार बनाया गया है तथा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 662 गत खसरा नम्बर 448 के साथ–साथ खसरा नम्बर 424 के भाग से मिलकर बना है । खसरा नम्बर 424 सेटलमेंट से पूर्व दुलीचन्द के नाम दर्ज नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 24.03.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील प्रस्तुत करने में राजकीय व्यस्तताओं के कारण विलम्ब हुआ है । विलम्ब होने में अपीलान्ट की कोई दुर्भावना नहीं रही है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 448/791 रकबा 10 बीघा दुलीचन्द पुत्र मूलचन्द के गैर खातेदारी में दर्ज थी और इंतकाल संख्या 375 दिनांक 07.01. 1983 से दुली चन्द को खातेदारी मिली । भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा खसरा नम्बर 424 मिन और 448 मिन के नये खसरा नम्बर 662 रकबा 1.72 हैक्टर बनाया गया और सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया गया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा खसरा नम्बर 662 की रकबा 1.60 हैक्टर अप्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं यह निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि कब्जे की जॉच नहीं की गई है । खसरा नम्बर 662, 448 मिन के साथ 424 का भी कुछ भाग शामिल है । खसरा नम्बर 424 दुलीचन्द के नाम नहीं था । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को ग्राम कसार की आराजी खसरा नम्बर 448/791 रकबा 10 बीघा आराजी आवंटित हुई थी जिस पर पहले गैर खातेदारी और बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये । भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा नये खसरा नम्बर 662 बनाकर इसको गलत रूप से सरकारी सिवायचक कर दिया गया । वादिनी के द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई तो यह अवगत करवाया गया कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जाता है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । रेस्पोडेन्ट को धारा 91 के तहत नोटिस दिये जाते रहे हैं । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने अपना पक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध कर दिया था । भू–प्रबन्ध विभाग को रेस्पोडेन्ट वादिनी की आराजी को सिवायचक सरकार दर्ज करने कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2014 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादिनी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया है । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श– 1 लगायत 3 पेश की गई है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 662 की आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है और इसकी किस्म बंजड अंकित है और इसमे नामान्तरकरण संख्या 1149, 1179, 1172 के साथ कई नामान्तरकरणों के नोट अंकित हैं । प्रदर्श– 4 मिलान क्षेत्रफल की नकल है जिसमें हाल खसरा नम्बर 662 के साबिक खसरा नम्बर 424 मिन, 448 मिन अंकित हैं । प्रदर्श–5 रेस्पोडेन्ट वादिनी के खाते की नकल जमाबन्दी है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 448/791 की 10 बीघा आराजी उनके गैर खातेदारी में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 375 से उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । प्रदर्श– 6 व 7 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । प्रदर्श–8 पटवारी हल्का की रिपोर्ट है । प्रदर्श–9 नोटिस की प्रति है । प्रदर्श– 10 व 11 डाक विभाग की रसीद

हैं और प्रदर्श–12 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.07.2012 की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श–13 लगायत 15 धारा 91 के नोटिसों की प्रतियॉ हैं ।

13. परीक्षण न्यायालय में सरकार की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है ।

14. वादिनी की ओर से यशोदा बाई के बयान पीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं ।

15. परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकियात कायम की हैं जो पृष्ठ संख्या 48 पर संलग्न हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जबकि तनकीयात कायम होने के उपरान्त सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि हाल खसरा नम्बर 662 में साबिक खसरा नम्बर 448 मिन और 424 मिन को शामिल किया गया है । साबिक खसरा नम्बर का जो नजरी नक्शा पेश किया गया है उसमें खसरा नम्बर 448 में तरमीम नहीं हो रही है । ऐसी स्थिति में तहसील से एक विस्तृत रिपोर्ट मंगवायी जाना आवश्यक है कि हाल खसरा नम्बर 662 में साबिक खसरा नम्बर 448 मिन का कितना रकबा शामिल है और जो रकबा शामिल किया गया है वो रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 448/791 का ही है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2014 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 15 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए तहसील से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा